BCCI BULLETIN
Vol. 54 | JULY 2023 | No. 7
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर अध्यक्ष केन्द्रीय जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना द्वारा आयोजित 'छठा जीएसटी दिवस' में शामिल हुए

कार्यक्रम में मंचासीन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी श्री अजय सक्सेना, आयुक्त, सीजीएसटी मो. एजाजुद्दीन एवं अपर आयुक्त, सीजीएसटी मो. असलम हसन एवं अतिथिगण।

कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में हैं मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी श्री अजय सक्सेना, आयुक्त, सीजीएसटी मो. एजाजुद्दीन एवं अपर आयुक्त, सीजीएसटी मो. असलम हसन एवं अतिथिगण।

केन्द्रीय जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना की ओर से 'छठा जीएसटी दिवस' का आयोजन दिनांक 1 जुलाई, 2023 को केन्द्रीय राजस्व एनेक्सी भवन, पटना के सभागार में किया गया।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बिहार देश में सर्वाधिक विकास वाले राज्यों में सम्मिलित है फिर भी बिहार में बैंकों का शाख जमा अनुपात (CD Ratio) 50 प्रतिशत से कम है। राज्य में व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि में पिछले एक दशक में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है परन्तु उस अनुपात में साख–जमा अनुपात में ऋण वितरण नहीं हुआ है। CD Ratio में एक दशक पहले की तुलना में कुछ वृद्धि हुई है, फिर भी राष्ट्रीय औसत (1 अप्रील 2023 में 75 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है।

राज्य सरकार सदैव बैंकों को ऋण देने में संतुलित रूप से उदार बनने का नसीहत देती रही है, परन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज भी सदैव इस पर ध्यान आकृष्ट करता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यावसायिक बैंकों में जमा राशि 1,65,209 करोड़ थी जो अभी बढ़कर 3,94,535 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में बिहार की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो पायी है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि बिहार की जमा पूंजी दूसरे राज्यों में खर्च हो रही है।

राज्य का योजना आकार 2013–14 में 62,477 करोड़ था जो 2023–24 के लिए 2,61,885 करोड़ हो चुका है। योजना आकार की वृद्धि का बैंक पूरा लाभ उठाते हैं। इस लाभ के बावजूद बैंक बिहार में ऋण देने में कतरा रहे है, **जबकि अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ NPA काफी कम है।**

नीति आयोग ने पहली बार एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसमें बिहार को देश में 22वाँ स्थान मिला है। बिहार निर्यात के हर पैमाने पर धीरे–धीरे आगे बढ़ रहा है।

अभी देश के कुल निर्यात में बिहार की 0.52 प्रतिशत ही भागीदारी है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की योजना है।

निर्यात इंडेक्स में अन्य पैमाने पर भी बिहार आगे बढ़ रहा है। बिजनेस इकोसिस्टम में 27वाँ, निर्यात नीति मामले में 13वाँ, निर्यात इको सिस्टम में 25वाँ, निर्यात परफॉरमेंस में 26वाँ और लैंड लॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार का 9वाँ स्थान है। नीति आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ''वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और कलस्टर योजना'' लागू होने के बाद से बिहार से निर्यात में वृद्धि हो रही है। बिहार में सबसे अधिक निर्यात बेगुसराय जिले से हो रहा है। अमृत महोत्सव के तहत बिहार से दुनियाँ के 75 देशों में निर्यात की योजना है। राज्य से करीब 5 हजार करोड़ का निर्यात होता है।

बिहार से होने वाले कृषि निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य से होने वाले निर्यात में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर की कतरनी चावल, जर्दालु आम, गेंहूँ, चावल, मक्का और सब्जी आदि है। बिहार के एक दर्जन से ज्यादा उत्पाद जियोग्राफिकल इंडेक्स (जीआई) टैग को लेकर भी नीति नहीं होने से निर्यात आगे नहीं बढ़ रहा है। जीआई टैग मिल जाने से उत्पादों के लिए अंतराष्ट्रीय बाजार आसानी से मिल जाता है।

यह भी खुशी की बात है कि उद्योग विभाग एवं नियमन (IDR) अधिनियम के तहत जारी किये गये सभी औद्योगिक लाइसेंस तीन साल की जगह 15 वर्षो के लिए वैद्य होंगे। उद्योगों को लाइसेंस जारी करने का प्रावधान आडीआर अधिनियम के तहत किया गया है। **यह कदम कारोबारी सुगमता बढ़ाने हेतु रक्षा क्षेत्र के लिए जारी लाईसेंस की तर्ज पर उठाया जा रहा है।** विभाग ने औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हुए कहा कि संबंधित मंत्रालय निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप तीन साल के लिए लाइसेंस की अवधि बढ़ा सकता है। **DPIIT के अनुसार 15 साल की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लाइसेंस की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन करना होगा।**

हाल हीं में पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि बुद्ध स्मृति पार्क से सटे मल्टीलेवल पार्किंग को वेंडिग जोन के तौर पर विकसित किया जायेगा। करीब दस वर्षो से तैयार यह मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग नहीं हो रहा था। **इस पार्किंग को वेंडिंग जोन में परिवर्तित करने के फैसल से व्यापक असर की उम्मीद है। इस फैसले के मूर्त रूप लेने पर पटना जंक्शन के पास न्यू मार्केट एरिया में वेंडरो के कारण लगने वाले जाम से पटनावासियों को मुक्ति मिलेगी। अनुमान है कि कम से कम 400 वेंडरों को यहाँ जगह मिलेगी। वैसे भी पटना अब स्मार्ट सिटी का शक्ल ले रहा है, अतः शहर सुनियोजित दिखना ही चाहिए। अन्य क्षेत्रों में भी बेंडरों को निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके।**

लोक सभा ने ''जन विश्वास (उपबन्धो का संशोधन) विधेयक, 2023'' को मंजूरी दे दी है। इसके जरिये कारोबारियों को राहत प्रदान की गयी है। कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी–मोटी गड़बड़ियों / गलतियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 12 जुलाई 2023 को इस विधेयक को मंजूरी दी है।

"Ease of Doing Business" को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटी गड़बड़ियों के मामलों में अपराध की सजा को कम कर दिया जायेगा। यानि जिन गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, उन्हें अव जुर्माने तक सीमित किया जायेगा। **इस संशोधन से कारोबारियों को छोटी–मोटी गलतियों के कारण कोर्ट–कचहरी के झंझट से मुक्ति मिलेगी, साथ ही उनके कारोबार में सुगमता होगी।**

राज्य सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के 15 साल से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंवित देनदारियों में एक वर्ष तक की अवधि के लिए एकमुश्त छूट का प्रावधान कर दिया है। इसमें मोटरवाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा उपकर एवं अर्थदण्ड में सरकारी वाहनों के लिए पूर्ण, गैर परिवहन वाहन के लिए कर में 90 प्रतिशत और अर्थदण्ड में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

उपर्युक्त से संबंधित परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या 06/मंतव्य– 997/2021–6061 दिनांक 28 जुलाई 2023 की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ चैम्बर कार्यालय द्वारा इमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी गयी है। किसी सदस्य को यदि उक्त प्रति की आवश्यकता हो तो चैम्बर कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में कहा है कि उन्हें इस बात की शिकायत मिली है कि लोन वसूली के समय कुछ बैंक ग्राहकों के साथ काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसी आलोक में उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन भुगतान की प्रक्रिया में ग्राहकों के साथ मानवता व संवेदना को ध्यान में रखा जाये। उन्होंने RBI को भी संबंधित निर्देश जारी किया है।

हमारे लिए यह भी खुशी की बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को गरीबी उन्मूलन की दिशा में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वोच्च स्थान मिला है। यह उपलब्धि सभी राज्यों की तुलना में वर्ष 2015–16 और 2019–21 के बीच की है क्योंकि इसी अवधि के दौरान बिहार में 2.25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा से बाहर हुए।

सादर,

आपका
पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पौधा भेंटकर सम्मानित करते मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी श्री अजय सक्सेना।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

इस कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल शामिल हुए। चैम्बर अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया एवं कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

उद्योगों के विस्तार की संभावना :
गया और कैमूर के बीच बने दो औद्योगिक शहर, उद्योग लगाने के लिए दूर हो जमीन की समस्या

– **पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

राज्य में उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने राज्य बिहार से हो कर गुजर रहा है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की बड़ी संभावना है। अत: गया और कैमूर के बीच कम-से-कम दो औद्योगिक शहर स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए। उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं, उनका निबटारा शीघ्र किया जाना चाहिए। प्रोत्साहन राशि मिलने में विलंब से व्यवसायियों को कार्य में काफी बाधा आती है। बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है। औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह-जगह पर इलाकों को चिह्नित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगी, जिससे कि प्रोमोटर एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें। बियाडा की ओर से पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक भूमि की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गयी है, लेकिन औद्योगिक भूमि जिसका आवंटन पूर्व से कर दिया गया है, उसको रद्द करने से उद्यमियों को बियाडा के प्रति जो आत्मविश्वास था, उसका घोर अभाव व्याप्त हो गया है।

नियमों में हो बदलाव : राज्य में उत्पादित सामग्रियों की सरकार के साथ-साथ सरकार के उपक्रम, सरकार द्वारा गठित एजेंसी सबसे बड़े खरीदार होते हैं। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए स्थानीय इकाइयों को सरकार द्वारा घोषित सामग्री खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय उद्योगों को रोकने के लिए निविदा में अनुभव एवं टर्नओवर जैसी शर्तें लगा दी जाती है।

बिजली दर काफी ज्यादा : राज्य में वर्तमान में लागू विद्युत दर काफी अधिक है और पड़ोसी राज्यों जैसे झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल से तुलना की जाये तो यह दर डेढ से दो गुणा अधिक होती है। ऊँची बिजली की दर की वजह से राज्य में अवस्थित उद्योगों की उत्पादन लागत, पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है और यही कारण है कि पड़ोसी राज्यों का उत्पाद बिहार में आकर बिक रहा है एवं राज्य के उद्योगों का विस्तार संतोषप्रद नहीं हो रहा है। **इस सदर्भ में सरकार को बिजली की दर को पुनरनिर्धारित करके पडोसी राज्यों के समकक्ष किया जाना चाहिए अथवा उद्योगों को सब्सिडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि राज्य में उद्योगों को बंद होने से बचाया जा सके।**

बैंकों से कर्ज मिलने में आसानी हो, तो बने बात : बिहार राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के औद्योगिक इकाइयों से संबंधित अगर कोई नया प्रावधान लाया जाता है तो उसके कार्यान्वयन के पूर्व उद्यमियों को अच्छी तरह से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जानी चाहिए। राज्य में निजी व्यापारिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण देने में काफी उदासीन भावना रखते है क्योंकि उनकी ऐसी आशंका रहती है कि राज्य में अवस्थित किसी भी उद्योग को दिये जाने वाला ऋण का वापस भुगतान प्राप्त नहीं होगा। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने वाले केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। उन्हें राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। राज्य में जमा धन राशि का प्रयोग इन बैंकों द्वारा अन्य राज्यो में ऋण देने में किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप, राज्य में सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। **सरकार को रिजर्व बैंक या अन्य माध्यम से इन बैंकों पर दबाव बढ़ा कर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए और असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों को सरकारी जमा से वंचित किया जाना चाहिए।**

खेती में संभावनाएँ अधिक : हमारा राज्य उपजाऊ भूमि एवं मेहनतशील श्रम उपलब्ध रहने की वजह से खेती पर विशेष आश्रित है और इसके विकास की अपार संभावनाएँ भी विद्यमान है। राज्य में फल, सब्जी, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों का निर्यात करके, अर्थव्यवस्था में काफी योगदान प्राप्त किया जा सकता है। **इस संबंध में मेरा सुझाव होगा कि राज्य में निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सहयोग संस्था का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि जरूरतमंद लोगों को उनके उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक जानकारी एवं सुविधा प्रदान की जा सके। इस संस्था की शाखाएँ क्षेत्रवार स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपने निर्माण इकाइयों के नजदीक में ही सुविधा उपलब्ध हो सके।**

(साभार : प्रभात खबर, 12.7.2023)

चैम्बर अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 78वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), बिहार की क्षेत्रीय परिषद की 78वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2023 को माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री सुरेन्द्र राम की अध्यक्षता में नियोजन भवन के सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल सम्मिलित हुए।

चैम्बर द्वारा संचालित डीसीए-टैली कोर्स के नये बैच का प्रारंभ 1 अगस्त से

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में युवाओं एवं युवतियों के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए) टैली कोर्स का नए बैच का प्रारंभ होने जा रहा है।

चैम्बर महामंत्री अमित मुखर्जी ने बताया कि 1 अगस्त से डीसीए-टैली कोर्स के नए बैच का प्रारंभ होगा। नए बैच में नामांकन के लिए आवेदन लिया जा रहा है। जो भी युवा एवं युवती डीसीए-टैली का कोर्स करने के इच्छुक हों, चैम्बर कार्यालय से पूर्वाह्न 11:30 से अपराह्न 4 बजे तक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

श्री मुखर्जी ने बताया कि चैम्बर में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए) टैली कोर्स का प्रारंभ वर्ष 2015 में हुआ था जो लगातार चल रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि चैम्बर का यह प्रयास है कि अधिकाधिक युवा एवं युवती डीसीए टैली कोर्स करें और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करिअर बनायें जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो सके।

(साभार : आज, 13.7.2023)

उद्यमियों के लिए नक्शा मंजूरी की प्रक्रिया अब हुई आनलाइन

उद्योग में निवेश को आगे आए उद्यमियों को कई तरह के क्लीयरेंस अब आनलाइन उपलब्ध होंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 48वीं बैठक में इस आशय के आए प्रस्ताव पर संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है।

उद्योगों के लिए स्थल आकलन समिति की अनुशंसा व अनुमोदन अनिवार्य है। इस संबंध में यह प्रस्ताव आया था कि इससे जुड़ी रिपोर्ट हासिल करने में निवेशकों को कोई परेशानी नहीं हो। इस बात को ध्यान में रख एसआइपीबी की बैठक में यह तय किया गया कि साइट एप्रेजल रिपोर्ट का क्लीयरेंस आनलाइन किया जाए। अब तक यह व्यवस्था है कि इससे जुड़े क्लीयरेंस की 20 कापी निवेशकों से मांगी जाती है। अब यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि इसकी हार्ड कापी नहीं मांगी जाए।

इसी तरह नगर विकास एवं आवास विभाग को एसआइपीबी की बैठक में यह निर्देश दिया गया कि पटना महानगरीय व अन्य नगरपालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के मैप एप्रूवल की प्रक्रिया को भी आनलाइन ही किया जाए। निवेशकों की सहूलियत के लिए कई प्रक्रियाओं को आनलाइन किया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 10.7.2023)

Cabinet OKs Draft Data Protection Bill

IT ministry will table the bill in Parliament in the upcoming monsoon session

The Union Cabinet approved the Digital Personal Data Protection Bill (DPDP), paving the way for voluntary disclosures of data breaches by companies while also providing an alternate dispute resolution mechanism, senior officials said.

The ministry of electronics and information technology (MeitY) will table the bill in the Parliament in the upcoming monsoon session, they said.

Noting that the "voluntary disclosure mechanism is akin to the plea bargain method, an accepted legal procedure in many countries", an official cited above said, "Companies can come forward and (admit) to a breach of any (kind) and pay the necessary penalties."

This much-awaited draft has done away with most criminal provisions for data breaches that were present in the previous versions. However, it empowers the Data Protection Board (DPB) to levy a penalty of up to ₹ 250 crore on organisations found to be in breach. It can also increase such fines to a maximum of ₹ 500 crore with requisite Cabinet approval. Such increases will not require any amendments to the law, officials said.

Pointing out that the proposed DPB will consist mostly of independent industry experts and not government officials, people in the know said the board would function as a "digital office".

It will be the second layer of adjudication in all matters related to digital personal privacy and data.

"The grievance redressal cell of companies is the first step. The second will be the DPB and then of course there will be courts and the entire legal system at disposal," an official said.

The IT ministry has decided to retain the definition for children as anyone under the age of 18 in the face of sustained pushback from industry experts. "It was necessary to ensure the safety of children online since they are very vulnerable," the official said.

(Source : E. T. (New Delhi) 6.7.2023)

जैव ईंधन इकाई लगाने पर पाँच करोड़ रुपये तक मिलेगा अनुदान

बिहार में कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार जैव ईंधन इकाई लगाने पर पाँच करोड़ रुपये तक

"वाणिज्य-कर विभाग के करदाता शिकायत निवारण अभियान में चैम्बर के प्रतिनिधिगण शामिल हुए

वाणिज्य-कर विभाग की ओर से दिनांक 5 जुलाई, 2023 को 'करदाता शिकायत निवारण अभियान' का शुभारम्भ माननीय वाणिज्य-कर मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी के कर-कमलों से अधिवेशन भवन पटना में हुआ।

इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से जीएसटी सब कमिटी के संयोजक श्री आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर, श्री अजय गुप्ता एवं श्री गणेश कुमार खेमका उपस्थित हुए।

अनुदान देगी। कैबिनेट ने बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू इथेनॉल प्रोत्साहन नीति, 2021 के अंतर्गत केवल शत-प्रतिशत इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य था। अब नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए इथेनॉल के अलावा कम्प्रेस्ड बायो गैस के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करने का विचार है।

वस्त्र-चर्म नीति 2022 को मिला अवधि विस्तार : राज्य सरकार ने बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 को अवधि विस्तार दे दिया है। इसके तहत प्रथम चरण के लिए आवेदन की तिथि 30 जून 2024 और वित्तीय मंजूरी की तिथि 30 जून 2025 की गई है। दरअसल, कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति लागू की गयी है।

चिटफंड कंपनियों पर कसेगा शिकंजा : चिटफंड कंपनियों, नन बैंकिंग संस्थाओं पर शिकजा कसेगा। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। 4 जुलाई, 2023 को बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 स्वीकृत की गई। अब ऐसी कंपनियां अगर अवैध तरीके से पैसे जमा करेंगी या पैसे लेकर भाग जाएंगी तो उसकी जाँच और ऑडिट होगी। संबंधित कंपनी की संपत्ति जब्त की जाएगी। बाद में उनकी संपत्ति बेच कर जनता को पैसे लौटाए जाएँगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.7.2023)

क्लस्टर में चाय की खेती के लिए बनाएँ ग्रामस्तरीय योजना : सचिव

• कृषि सचिव संजय कुमार ने कहा, चाय का एडवांस सेंटर स्थापित करें • 'बिहार की चाय को बढ़ावा देने की संभावनाएँ' विषय पर हुई परिचर्चा

कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाले ने चाय की खेती व प्रसंस्करण क्लस्टर में किये जाने पर जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि क्लस्टर में चाय की खेती के लिए ग्रामस्तरीय योजना बनाई जाए।

मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार में बिहार की चाय को बढ़ावा देने की संभावनाएँ विषय पर आयोजित परिचर्चा में उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज और टी रिसर्च एसोशिएशन, पश्चिम बंगाल से आपसी समन्वय कर एडवांस सेंटर फॉर टी स्थापित करें। उन्होंने बताया कि टी बोर्ड ऑफ इण्डिया में बिहार का प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए बात की जाएगी। बैंक चाय की खेती करने वाले किसानों को ऋण उपलब्ध कराएं। कृषि महाविद्यालय किशनगंज को बिहार की चाय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य स्तर पर 'टी कान्क्लेव' का आयोजन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में उत्पादित होने वाले चाय के प्रभेदों का अनुसंधान किया जाए। चाय प्रसंस्करण के लिए आवश्यकतानुसार अलग से बिजली फीडर की व्यवस्था की जा सकती है।

कृषि निदेशक डॉ. आलोक रंजन घोष, संयुक्त निदेशक, उद्यान राधा रमण, डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के प्राचार्य डॉ. के सत्यनारायण, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के निदेशक (अनुसंधान) महिपाल सिंह एवं उप निदेशक (चाय विकास) एसके हाजरा, टी रिसर्च एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल के चीफ एडवाइजरी ऑफिसर सैम वर्गीज ने भाग लिया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.7.2023)

invest BIHAR
BIADA
अपनी माटी, अपना रोजगार
औद्योगिक उड़ान के लिए
बिहार है तैयार
बिहार में उद्योग विभाग की सहायता से
अपना उद्योग स्थापित करने के लिए संपर्क करें
बने बनाए औद्योगिक शेड
मासिक किराया मात्र ₹4 प्रति वर्ग फुट से शुरू
संपर्क करें: प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना
दूरभाष : 7280004800 । वेबसाईट : biadabihar.in

(साभार : आई नेक्स्ट, 17.7.2023)

ई-रुपया लेनदेन 10 लाख प्रतिदिन करने की तैयारी

यूपीआइ क्यूआर कोड का शुरू होगा उपयोग : यूजर्स के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सीबीडीसी लेनदेन करने के लिए यूपीआइ क्यूआर कोड का उपयोग शुरू होगा। भले ही व्यापारी के पास सीबीडीसी वॉलेट

भारतीय स्टेट बैंक के उप-महाप्रबन्धक एवं चैम्बर के पदाधिकारियों के बीच स्टेट बैंक से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श

भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री अभिजीत पांगरेकर, सहायक प्रबंधक श्री प्रशांत कुमार झा एवं मुख्य प्रबंधक श्री जे. के. सिंह, चैम्बर के पदाधिकारियों एवं वरीय सदस्यों से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हुए।

भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबन्धक श्री अभिजीत पांगरेकर के साथ चैम्बर के पदाधिकारियों एवं वरीय सदस्यों से चैम्बर प्रांगण में 18 जुलाई, 2023 को मिले एवं भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। उक्त अवसर पर स्टेट बैंक के सहायक महा प्रबन्धक श्री प्रशांत कुमार झा एवं मुख्य प्रबन्धक श्री जे. के. सिंह भी उपस्थित थे।

भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री अभिजीत पांगरेकर को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं चैम्बर के वरीय सदस्यगण।

चैम्बर की ओर से विचार-विमर्श में उपाधयक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर, श्री पवन कुमार भगत, श्री राकेश कुमार एवं श्री अशोक कुमार सम्मिलित थे।

न हो, यूपीआइ के माध्यम से सीबीडीसी भुगतान व्यापारी या रिसीवर के बैंक खाते में ई-रुपया जमा करने की अनुमति होगी।

सीबीडीसी यूजर्स की संख्या 13 लाख पहुँची : डिप्टी गवर्नर रवि शंकर ने कहा कि इस समय यूपीआइ के तहत 31 करोड़ लेनदेन होते हैं। पायलट परीक्षण में बैंकों की संख्या आठ से बढ़ कर अब 13 हो गयी है। इस समय सभी प्रयास सीबीडीसी के उपयोगकर्ता अधिक से अधिक करने पर केन्द्रित हैं। फिलहाल तीन लाख व्यापारियों समेत 13 लाख सीबीडीसी उपयोगकर्ता हैं। इस प्रणाली के लिए प्रतिदिन 10 लाख लेनदेन होना कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रैल के अंत में यह संख्या सिर्फ एक लाख थी। (साभार : प्रभात खबर, 12.7.2023)

'बैंक लॉकर्स' के लिए नए रूल्स

आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की बढ़ाई लास्ट डेट

आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की लास्ट डेट पहले-1 जनवरी 2023 रखी थी, लेकिन अब बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2023 कर दिया है। यह प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप तरीके से पूरी होनी है। आरबीआई ने बैंक लॉकर के 50 परसेंट नए एग्रीमेंट 30 जून तक, 75 परसेंट 30 सितम्बर तक और 100 परसेंट 31 दिसम्बर 2023 तक साइन करवाने का गोल फिक्स किया है। नए बैंक लॉकर कस्ट्यूमर के लिए ये रूल 1 जनवरी 2022 से ही लागू हो चुके हैं। पुराने ग्राहकों के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की लास्ट डेट 31 दिसम्बर 2023 कर दी गई है।

चाबी खोने पर बैंक की नहीं होगी जिम्मेदारी : बैंक लॉकर में वेपन, कैश या विदेशी मुद्रा या मेडिसिन या कोई घातक जहरीला सामान नहीं रखा जा सकेगा। नए नियम बैंक को कई तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त कर देंगे। अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। ग्राहक के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी। अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे समय-समय पर बदलने वाले इससे जुड़े नियमों के हिसाब से हर्जाना देना होगा।

क्लियर और ब्रीफ में देना होगा इंफो : बैक लॉकर के न्यू रूल्स के मुताबिक, बैंक और कस्ट्यूमर को नए एग्रीमेट में क्लियरली सारी चीजें डिटेल में देनी होगी कि वहाँ किस तरह का सामान रखा जा सकता है और किस तरह का नहीं। इसी के साथ बैंक में कीमती वस्तुओं को रखने के लिए लॉकर की सर्विस लेने वाले लोगों से अब बैंक नए प्रकार के चार्ज वसूलना शुरू कर रहे हैं। इस नए नियम को कस्ट्यूमर के साथ एग्रीमेंट में लाने के लिए बैंक कई तरह के स्टांप फीस वसूल कर रही है और फाइन चार्ज भी लगता है। बैंकों के साथ लॉकर रखने के लिए होने वाला नया एग्रीमेंट अब स्टांप पेपर पर साइन किया जाएगा। इसका खर्च पुराने ग्राहकों को नहीं उठाना है, बल्कि बैंक इसे मुफ्त में उपलब्ध कराएँगे। नए एग्रीमेंट को लेकर आरबीआई ने कई बदलाव किए है। ये लॉकर रखने वाले ग्राहको के हितों की सुरक्षा करता है।

किराए का 100 गुना देना होगा मुआवजा : • बैंक लॉकर में रखा सामान अगर गायब हो जाता है तो आप लॉकर के लिए जितना किराया दे रहे है उसका 100 गुना आपको मुआवजा दिया जाएगा • चाहे आपने कितना ही कीमती सामान लॉकर में रखा हो • इसलिए बैंक में लॉकर लेने से पहले आपको सारी शर्तों और जोखिम के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए • आरबीआई के नियम के मुताबिक, बैंक लॉकर में अब ग्राहक सिर्फ जुलरी, जरुरी दस्तावेज और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकेंगे • बैंक लॉकर ग्राहको का सिर्फ उनके पर्सनल यूज के लिए मिलेगा • साथ ही अब इनका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा • परिवार के व्यक्तियों को एक-दूसरे का लॉकर खोलने की सर्विस नहीं होगी। (साभार : आई नेक्स्ट, 11.7.2023)

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022

नीति के तहत दी जा रही सहायता/अनुदान

- उद्योग लगाने पर 15 प्रतिशत का पूँजीगत अनुदान (अधिकतम 10 करोड़ रुपये)
- बिजली बिल में प्रति यूनिट 2 रुपये का अनुदान।
- हर माह प्रति वर्कर 3 से 5 हजार रुपये तक चेतन मद में प्रोत्साहन राशि।
- निर्यात होने वाले कार्गो पर माल भाड़े 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष।
- सालाना प्रति पेटेंट 10 लाख रुपये तक का अुनदान।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ।
- पंजीकृत इकाइयाँ : 64 • परियोजना लागत : 332.54 करोड़

• *IndustriesBihar* • *BiharIndustriesDept* • *https://state.bihar. gov.in /industries* • *https : //startup:bihar.gov.in*

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.7.2023)

चैम्बर के प्रतिनिधि औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में सम्मिलित हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठकें दिनांक 4 जुलाई, 10 जुलाई एवं 13 जुलाई, 2023 को श्री संदीप पौण्डरीक, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई।

उक्त बैठकों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

उपभोक्ता डेबिट-क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चुन सकेंगे

- **बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भुगतान विकल्प देना होगा**
- **25 करोड़ से अधिक लेनदेन क्रेडिट कार्ड से हुए थे इस वर्ष**
- **अप्रैल में 23 करोड़ के करीब लेनदेन डेबिट कार्ड से हुए इसी अवधि में**

ग्राहक जल्द ही अपनी पसंद के मुताबिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड के भुगतान नेटवर्क का चुनाव कर सकेंगे। यानी वह तय कर पाएँगे कि उन्हें रुपे कार्ड लेना है या फिर वीजा अथवा मास्टर कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह प्रस्ताव किया है कि कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग इकाइयों को अपने ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना चाहिए।

अभी यह है व्यवस्था : मौजूदा व्यवस्था में डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड अधिकृत भुगतान नेटवर्क व्यवस्था के तहत जारी किए जाते हैं। इनमें रुपे, वीजा अथवा मास्टर कार्ड शामिल हैं।

इसके लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग इकाइयों के साथ गठजोड़ किया जाता है। किसी ग्राहक को जारी कार्ड का नेटवर्क संबंधित पक्ष करते हैं। ग्राहक के पास खुद से चुनने का विकल्प नहीं होता।

किसी भी समय बदलाव कर पाएँगे : आरबीआई के परिपत्र मसौदे के अनुसार, कार्ड जारी करने वाले अपने पात्र ग्राहकों को विभिन्न कार्ड नेटवर्कों में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। इसका उपयोग ग्राहक या तो जारी होने के समय या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। इसके अलावा, कार्ड जारी करने वाले को एक ही कार्ड नेटवर्क पर निर्भर नहीं होना है। उन्हें एक से अधिक कार्ड नेटवर्क आधारित कार्ड जारी करने होंगे।

इन नेटवर्क के जारी होते हैं कार्ड : भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्क में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल, मास्टर कार्ड एशिया /पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कोंरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीजा वर्ल्डवाइड लिमिटेड हैं। आरबीआई ने चार अगस्त तक मसौदा परिपत्र पर संबंधित पक्षों से टिप्पणियाँ मांगी हैं।

ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएँ मिलेंगी : इस नए नियम से ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के कार्ड नेटवर्क के बीच सुविधाजनक ब्याज दरें, अधिक रिवॉर्ड्स प्वाइंट और अन्य लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ग्राहक अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त कार्ड नेटवर्क का चुनाव कर सकते हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.7.2023)**

जीएसटी रिटर्न में भूल सुधार का मौका मिलेगा

कर में अनियमितता मिलने पर पोर्टल तुरंत नोटिस भेज देगा

जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न में इनपुट टेक्स क्रेडिट को लेकर आ रही अनियमितता को करदाता अब पोर्टल पर एक फॉर्म में समझ सकेंगे। अब तक विभाग नोटिस देता था जिसका जवाब करदाता लिखित में देता था। हाल में ऐसी सुविधा दी गई है, जिसमें जीएसटी आर-1 और आर-3बी के टैक्स में अनियमितता आती है तो करदाता को तुरंत पोर्टल सिस्टम से नोटिस भेज दिया जाएगा। तकनीकी त्रुटि से कम टैक्स भरा गया तो एक अन्य फॉर्म भरकर बकाया टैक्स करदाता जमा करवा सकते हैं। साथ ही पहले अधिक टैक्स भर दिया हो, इस कारण अभी कम भरा है तो यह भी वहाँ उस में स्पष्ट किया जा सकता है। नोटिस भेजे जाने के सात दिन में यह फॉर्म भरकर जवाब देना होगा। जवाब न देने पर करदाता अगले महीने का रिटर्न नहीं भर सकेंगे। जवाब देने के तुरंत बाद रिटर्न भर सकेंगे।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का होगा इस्तेमाल : सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जोहरी के मुताबिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मजबूत करने के लिए कई तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जीएसटी प्रणाली में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जीएसटी पंजीकरण पाने के लिए अन्य लोगों के पैन और आधार का दुरुपयोग करने वाले धोखेबाजी पर नकेल कसी जा सकेगी। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में और सख्ती पर भी विचार हो रहा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 3.7.2023)**

पंजीकृत कंपनियों को पते का करना होगा जियो-कोड

जीएसटी : राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों को मिली सुविधा

जीएसटी नेटवर्क ने फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने और कंपनियों का सही पता-ठिकानों का पता लगाने के लिए एक नयी पहल की है। जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि उसने पंजीकृत कंपनियों के 1.8 करोड़ से अधिक पते-ठिकानों का 'जियोकोडिंग' किया है और यह सुविधा अब सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। जियोकोडिंग से पंजीकृत इकाइयों के सही ठिकाने का पता लगाने और फर्जी पंजीकरण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) पहले ही कुछ राज्यों में जियो-कोडिंग के लिए एक पायलट कार्यक्रम चला चुका है। जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि मार्च 2022 के बाद के सभी नये पते पंजीकरण के समय ही जियो-कोड किये गये हैं, ताकि पते के विवरण की सटीकता और मानकीकरण सुनिश्चित हो सके।

जानें, क्या होती है जियो-कोडिंग : जियो कोडिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत किसी स्थान के पते या ठिकाने के विवरण को भौगोलिक स्थिति (आक्षांश और देशांतर) में बदला जा सकता है। इस पहल का मकसद जीएसटी नेटवर्क के रिकॉर्ड में यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का पता-ठिकाना पूरी तरह से सटीक है। साथ ही इसके जरिये पता और सत्यापन प्रक्रिया को दुरूस्त बनाना है।

चैम्बर द्वारा संचालित डीसीए एवं टैली कोर्स के प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

साक्षात्कार लेते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं एक्सपर्ट।

साक्षात्कार में शामिल अभ्यर्थीगण।
साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं एक्सपर्ट।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा एक अगस्त, 2023 से नि:शुल्क संचालित डीसीए एवं टैली कोर्स के नये बैच हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 27 जुलाई, 2023 को चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं एक्सपर्ट के द्वारा लिया गया।

फर्जी पंजीकरण पकड़ने का चल रहा अभियान : केन्द्र और राज्यों के जीएसटी अधिकारी इस समय फर्जी पंजीकरण पकड़ने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। अब तक इस अभियान में 17,000 जीएसटीआइएन (वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या) का कोई अता-पता नहीं चला है। इनमें से 11,015 जीएसटीआइएन निलंबित और 4972 रद्द कर दिये गये है। वहीं, 15000 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है। (साभार : प्रभात खबर, 8.7.2023)

जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल बनेगा, होंगे चार सदस्य

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विवाद के निबटारे में अब तेजी आयेगी। राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ राज्यों में भी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया जायेगा। राज्य में चार सदस्यीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने की तैयारी चल रही है। जीएसटी विवादों के समाधान प्रक्रिया को कारगर करने और तेज करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में चार सदस्य होंगे। राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो तकनीकी सदस्य होंगे, जिसमें एक केन्द्र और एक राज्यों से अधिकारी होंगे। इसके अलावा दो न्यायिक सदस्य होंगे। दो सदस्यों वाली एक खंडपीठ में एक तकनीकी और एक न्यायिक होगी, जो अपीलों का फैसला करेगी। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक केन्द्रीकृत व्यवस्था होगी। राज्य बेंचों में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी और राज्य की सलाह पर उनकी नियुक्ति की होगी। राज्यों के अलावा, एक राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण भी होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 7.7.2023)

15.50 लाख प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं में 5 लाख की ही अभी लौटेगी सिक्योरिटी मनी

- **कैसे मिलेगा पैसा**
- **चार साल से पहले कनेक्शन लेने वालों का डाटा अपडेट ही नहीं**

बिजली कंपनी ने सिक्योरिटी मनी वापस करने के लिए सुविधा एप से आवेदन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य के 15.50 लाख प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं में से मात्र पाँच लाख को ही अभी यह सुविधा मिल पाएगी। बाकी 10.50 लाख उपभोक्ताओं को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कारण, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले 5 लाख उपभोक्ताओं ने ही पिछले तीन-चार साल में कनेक्शन लिया है और इनका डाटा कंपनी के सॉफ्टवेयर में अपडेट है। बाकी 10.50 लाख उपभोक्ता काफी पुराने हैं। इनका पुराना डेटा अभी सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है। लेकिन अगर इनके पास पुरानी रसीद सुरक्षित होगी, तो ये आवेदन कर सिक्योरिटी मनी वापस ले सकते हैं। इन्हें पुरानी रसीद दिखानी होगी या शपथपत्र देना होगा। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1.85 करोड़ है। इसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 से पहले के करीब 60 लाख कनेक्शनधारी हैं। शेष करीब 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं ने वर्ष 2015 के बाद कनेक्शन लिया है। यानी से सभी नए कनेक्शनधारी हैं। लेकिन, इनमें से 1.10 करोड़ उपभोक्ता अब भी पोस्टपेड मीटर वाले हैं, जिन्हें इस योजना लाभ लेने के लिए सबसे पहले प्रीपेड कनेक्शन में कन्वर्ट कराना होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के समय ही दिखेगी जमा राशि : सुविधा एप में जमानत राशि की वापसी के लिए आवेदन का आइकॉन बना हुआ है। इस पर क्लिक करने बाद उपभोक्ता संख्या लिखनी है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसको डालते ही बिजली कंपनी के पास जमा की गई सिक्योरिटी मनी की राशि दिखेगी। इसके बाद अधिकारी से मिल कर रसीद दिखाने का समय मिलेगा। उस दिन जाकर रसीद दिखाने पर रिचार्ज के रूप में सिक्योरिटी मनी वापसी होगी। ब्याज समेत सिक्योरिटी मनी वापस की जाएगी।

अब बिना सिक्योरिटी मनी मिल रहा कनेक्शन : अब पटना समेत अन्य जिला मुख्यालयों में नया कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी मनी नहीं ली जा रही है। नए कनेक्शन लेने वाले लोगों के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। बिजली कंपनी द्वारा रिचार्ज की जाने वाली राशि में से सर्विस चार्ज और आवेदन शुल्क राशि काटी जा रही है।

"स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी वापस करने के लिए सुविधा एप से आवेदन लिया जा रहा है। अभी तक साउथ बिहार के 600 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। सिक्योरिटी मनी जमा करने की रसीद को दिखाकर उपभोक्ता अपनी राशि वापस ले सकेंगे।"

– **अरविन्द कुमार**, जीएम राजस्व, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.7.2023)

बिहार हुआ आत्मनिर्भर अब नहीं खरीदनी होगी बिजली

- **6943 मेगावाट कुल बिजली बिहार को एनटीपीसी से मिलेगी।**
- **एनटीपीसी बाढ़ प्लांट की चौथी इकाई का ट्रायल पूरा**
- **यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन**

पटना के बाढ़ स्थित एनटीपीसी के प्लांट से 660 मेगावाट की चौथी इकाई ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया, इससे अब बिहार को बाजार से बिजली लेने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में एनटीपीसी संयंत्रों से बिजली आवंटन 6560 मेगावाट से बढ़कर 6943 मेगावाट हो जाएगा, जबकि वर्तमान में बिहार की अधिकतम औसत बिजली की खपत 6700 मेगावाट है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के मानदंडों के अनुसार एनटीपीसी बाढ़ के स्टेज-1 की दूसरी यूनिट ने दोपहर करीब 13:00 बजे अपने 72 घंटे के फुल लोड ट्रायल-रन ऑपरेशन लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। फुल लोड ट्रायल-रन ऑपरेशन के सफल होने का मतलब है कि बाढ़ संयंत्र के स्टेज-1 की दूसरी इकाई आधिकारिक तौर पर वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार है और इससे बिहार, ओडिशा, झारखण्ड और सिक्किम जैसे लाभार्थी राज्यों को 660 मेगावाट तक बिजली जल्द मिलने लगेगी। साथ ही कुल अनुमानित 21000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बाढ़ प्लांट की कुछ उत्पादन क्षमता वर्तमान में 1980 मेगावाट से बढ़कर 2640 मेगावाट हो गई है।

383 मेगावाट बिहार को : बाढ़ सुपर थर्मल पावर से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इनमें से 1526 मेगावाट बिहार को मिल रही है। एनटीपीसी प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने बताया कि बाढ़ स्टेज- एक की इस यूनिट से उत्पादित बिजली का 383 मेगावाट बिहार को मिलेगा, शेष झारखण्ड, ओडिशा और सिक्किम को आवंटित किया जाएगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 1.7.2023)

राज्य के उद्योगों में सौर ऊर्जा के उपयोग पर दिया जाएगा विशेष जोर : निदेशक

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के तत्वावधान में आयोजित बैठक में राज्य के उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित ने कहा कि प्रदेश के उद्योगों में सौर ऊर्जा के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पारंपरिक ऊर्जा की कम से कम खपत हो इसके लिए उद्योगों की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के उद्योगों को स्वच्छ ईधन के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मौके पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ. डी. के. शुक्ला ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय की और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग परियोजना चलाई जा रही है, उसका लाभ राज्य के उद्यमी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। पर्षद के सदस्य सचिव एस चन्द्रशेखर का कहना है कि 2070 तक राज्य में कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में राज्य के उद्योगपतियों का सहयोग जरूरी है सभी के सहयोग से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रतियोगिता में डेवलपमेंट अल्टरनेटिव के उपाध्यक्ष डॉ. सोमेन मैत्री ने कहा कि राज्य के औधोगिक इकाईयों से बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है। वहीं उद्योग विभाग के खाद्य प्रसंस्करण निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि सरकार की ओर से उद्योगों की बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रयास किया जा रहा है। (साभार : दैनिक जागरण, 4.7.2023)

नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ाया तो अभिभावक पर होगी एफआईआर

• जुबेनाइल जस्टिस एक्ट को सख्ती से लागू करेगी पटना पुलिस, हादसे पर लगेगी लगाम • यातायात पुलिस जल्द ही बड़ा अभियान चलायेगी • नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति न देने की अपील की

नाबालिग बच्चों के हाथ में दो या चार पहिया गाड़ी देने वाले अभिभावकों पर पटना पुलिस नकेल कसने वाली है। अगर नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गये तो उनके माता-पिता को थाने पर बुलाया जाएगा।

एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि नाबालिग बच्चों के हाथ में गाड़ी देने वाले अभिभावकों पर जेजे एक्ट यानी जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। उन पर वाहन देने का आरोप लगाते हुए नाबालिगों की जान को खतरे में डालने के आरोप के तहत एफआईआर होगी। पटना यातायात पुलिस जल्द ही बड़ा अभियान चलायेगी। दरअसल, गाड़ियों की रफ्तार के कारण कम उम्र के युवाओं को भी जान गंवानी पड़ती है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने अभिभावकों से यह अपील भी कि है कि वे नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति न दें। बच्चों पर हमेशा नजर रखें ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

लगातार हो रहा चालान, फिर मी जा रही जान : राजधानी में तेज रफ्तार को लेकर हर रोज यातायात पुलिस चालान काट रही है। अटल पथ से लेकर जे. पी. गंगा पथ व अन्य इलाकों में पुलिस स्पीड रडार गन के जरिए तेज गति पर लगाम लगाने की कवायद में जुटी है। इसके बावजूद गाड़ियों की तेज रफ्तार लोगों की मौत का कारण बन रही है। पिछले 18 दिनों में रफ्तार के कारण महिला सिपाही समेत पाँच को अपनी जान गंवानी पड़ी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.7.2023)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी, 2022

पात्रता की शर्तें

- उद्यम 10 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं हो
- उद्यम का वार्षिक टर्न ओवर किसी भी वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।
- उद्यम प्रोडक्ट, प्रक्रिया अथवा सेवा के विकास, अविष्कार या सुधार से संबंधित हो अथवा रोजगार सृजन या आर्थिक सम्पदा निर्माण की उच्च मापनीय क्षमता वाला हो।
- स्टार्ट-अप का निबंधन और कार्यालय बिहार में होना चाहिए।
- कंपनी की गतिविधियों पर लागू कर का भुगतान बिहार में होना चाहिए।
- पुरानी कंपनी की पुर्नसंरचना अथवा विभाजंन से निर्मित कंपनी को स्टार्ट-अप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
- कुल पंजीकृत स्टार्ट-अप : 407

योजना के लाभ

- स्टार्ट-अप को 10 लाख रु तक का 10 साल के लिए ब्याज मुक्त सीड फंड
- महिला उद्यमी के स्टार्ट-अप को 5 प्रतिशत तथा SC/ST/ दिव्यांगों के स्टार्ट- अप को 15 प्रतिशत अतिरिक्त फंडिंग।
- एक्सीलेरेशन प्रोग्राम (Rigorous Training for Product Enhancement & Funding) में भागीदारी के लिए 3 लाख रु तक का अनुदान
- एंजेल निवेशको से निवेश प्राप्त होने पर निवेश का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क (Success Fees)
- स्टार्ट-अप कंपनी को SEBI Registered Category-AIFs तथा एंजेल समूह से फंड प्राप्त होने पर अतिरिक्त फंड के रूप में बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट से मैचिंग लोन।
- स्वीकृत सीडफंड : 40.70 करोड़ रुपये

कॉमन फैसिलिटी

- को-वर्किंग स्पेस
- कॉमन शोघ और विकास लैव, कॉन्फ्रेंस रूम इत्यादि।
- हाई इन्ड प्रिंटर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की सुविधा।
- कॉमन टेस्टिंग लैब और टूल रूम।
- विधि, लेखा, टेक्नोलॉजी, पेटेंट, निवेश एवं बैंकिग की सामान्य सुविधा।
- स्टार्ट-अप और इन्क्यूबेशन के लिए कम्यूनिटी इवेन्ट तथा प्रोमोशनल सपोर्ट।
- गौदाम, संग्रहण केन्द्र तथा क्वालिटी एश्योरेंस लैब की सुविधा।

आवेदन करने के लिए QR को स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://startup.bihar.gov.in • startup-bihar@gov.in • 18003456214 पर संपर्क करें

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.7.2023)

सुगम कारोबार : अपराध की श्रेणी से हटेंगी छोटी-मोटी गड़बड़ियाँ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 12.7.2023 को जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2023 को संभवत: मंजूरी दे दी। इसमें कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन कर

छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसमें 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

सूत्रों ने कहा कि यह विधेयक दिनांक 12.7.2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए आया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल 22 दिसम्बर को लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक पेश किया था। इसके बाद विधेयक को विचार के लिये संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया।

इन कानूनों में है संशोधन का प्रस्ताव : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944, फार्मेसी अधिनियम, 1948, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 कॉपीराइट अधिनियम, 1957; पेटेंट अधिनियम, 1970, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999, रेलवे अधिनियम, 1989, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 13.7.2023)**

BIHAR TO GET VEHICLE SCRAPPING CENTRES BY SEPT, SAY OFFICIALS

THE STATE CABINET HAD IN FEBRUARY LAST YEAR ANNOUNCED ITS SCRAP POLICY, BASED ON THE ONE APPROVED BY THE CENTRAL GOVT

At least two vehicle scrapping centres will be operational in Bihar by September and the vehicle owners will be able to reap the benefits of long-awaited scrap policy in the state, officials familiar with the development said on 2nd July, 2023.

In its bid to counter the challenges of growing air pollution and road accidents, the state cabinet had in February last year announced its scrap policy, based on the one approved by the central government, and decided to offer incentives for those opting to declare their vehicles older than 15 years as scrap. However, the policy remained ineffective till date, as there is no authorised agency to crush the old vehicles and declare them scrap.

Reacting to the development, a senior transport department officer said: "Encouraged by the policy, entrepreneurs have started setting up four scrap plants in Patna and 12 other cities. Hopefully, at least two scrap centres will become operational in Patna by August end."

The scrap policy envisages benefits of up to ₹60,000 on purchase of new vehicles by way of monetary relief in road tax and registration charge.

"To avail the incentives, the vehicle owners need to apply before the notified authorities for declaring their vehicles as scrap. Once approved, the vehicles will be crushed at the scrapping plant. The certificates issued by the authorised scrapping plants will be produced in front of vehicle dealers to get the incentives," said another official on anonymity.

The transport department official quoted above said that the department was mulling over the plan of granting onetime road tax benefit of 25% for individual vehicles and 15% in case of the commercial vehicles.

"The draft will be finalised in the next couple of weeks for the cabinet approval," he said, adding that the vehicle owners would be given the choice to retain the registration number of their old vehicles.

Vehicle crushing plants are also being set up by entrepreneurs in Vaishali, Hajipur, Siwan, Banka, Bhagaipur, Darbhanga, Purnia. Gopalganj, Katihar, Samastipur, Madhubani, Saharsa and Madhepura, said the official. **(Detail : H. T, 3.7.2023)**

2 साल बाद राज्य में अब लागू हो रही वाटर यूज़र चार्ज नीति

अब पानी पर भी लगेगा टैक्स

40 से 150 रु./माह शुल्क • नगर विकास विभाग ने निकायों को भेजा पत्र

साल भर तक नहीं दिया शुल्क, तो कटेगा कनेक्शन : यदि पेयजल उपयोग शुल्क का भुगतान देय तिथि से एक वर्ष तक नहीं किया जाता है, तो उनका जल संबंध काट दिया जाएगा। साथ ही पुनः कनेक्शन जोड़ने में लगने वाली राशि उपयोगकर्ता व प्रतिष्ठान से ही वसूली जाएगी, जो कम से कम 1 हजार होगा।

देय तिथि के बाद पेयजल उपयोग शुल्क का भुगतान करने पर प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि भी वसूली जाएगी।

पाँच श्रेणी में लागू होगा वाटर टैक्स, किसे कितना लगेगा

घरेलू उपभोक्ता	
होल्डिंग टैक्स	**वाटर चार्ज की निर्धारित राशि**
0 से 1000 रु.	480 रु. प्रति वर्ष या 40रु प्रति माह
1001 से 2000 रु.	780 रु. प्रति वर्ष या 65रु प्रति माह
2001 से 3000 रु.	1440 रु. प्रति वर्ष या 120 रु. प्रति माह
3001 व अधिक	1800 रु प्रति वर्ष या 150 रु. प्रति माह
व्यावसायिक प्रतिष्ठान	
प्रॉपर्टी टैक्स	**वाटर मीटर के आधार पर वाटर चार्ज**
0-1000 रु.	2400 रु. फिक्स चार्ज व 7.50 रु/ केएल
1001- 2000 रु.	4200 रु. फिक्स चार्ज प्लस 9.50 रु./ केएल
2001-3000 रु.	6000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 12.रु/ केएल
3001 व अधिक	12000 रु फिक्स चार्ज प्लस 14.50 रु./ केएल
सरकारी संस्थान	
प्रॉपर्टी टैक्स	**निर्धारित राशि वाटर मीटर के आधार पर**
0-1000 रु.	2400 रु. फिक्स चार्ज व 2.50 रु/ केएल
1001-2000 रु.	4200 रु. फिक्स चार्ज प्लस 3.50 रु./ केएल
2001-3000 रु.	6000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 5 रु/ केएल
3001 व अधिक	12000 रु फिक्स चार्ज प्लस 6 रु./ केएल
गैर सरकारी संस्थान	
प्रॉपर्टी टैक्स	**वाटर मीटर के आधार पर तय शुल्क**
0-1000 रु.	2400 रु. फिक्स चार्ज व 5 रु. प्रति केएल
1001-2000 रु.	4200 रु. फिक्स चार्ज प्लस 5 रु./ केएल
2001-3000 रु.	6000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 9.50 रु./ केएल
3001 व अधिक	12000 रु फिक्स चार्ज प्लस 12 रु./ केएल
छोटी औद्योगिक इकाई	
स्मॉल स्केल यूनिट	**फिक्स चार्ज 6000 रु.**
50 केएल/माह तक खपत होने पर	यूजर चार्ज 12 रु./ केएल
51 केएल से 75 केएल तक खपत पर	यूजर चार्ज 18 रु./ केएल
75 केएल से अधिक खपत होने पर	यूजर चार्ज 24 रु./ केएल
बड़ी औद्योगिक इकाई	
बड़ी यूनिट	**फिक्स चार्ज 12000 रु.**
100 केएल प्रति माह से अधिक खपत पर	यूजर चार्ज 18 रु./ केएल
100 से 150 केएल प्रति माह खपत पर	यूजर चार्ज 24 रु./ केएल
150 केएल प्रति माह से अधिक पर	यूजर चार्य 36 रु./ केएल

नोट : औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत कर्मियों के लिए पेयजल भी मीटर के आधार पर 2400 रु. फिक्स और 7.50 रु./ केएल के दर से लिया जाएगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 7.7.2023)

पटना, गया और मुजफ्फरपुर में डीजल चालित स्कूली बसें भी होंगी बंद

प्रदूषण कम हो इसलिए 1 अक्टूबर से पटना में डीजल वाली सिटी बसें होंगी बंद, सीएनजी वाहन ही चलेंगे

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य में डीजल वाहनों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना में 30 सितम्बर के बाद डीजल से चलने वालीं 200 सिटी बसें बंद हो जाएँगी। ये बसें अगर 1 अक्टूबर से सड़कों पर दिखीं तो जुर्माने के साथ इन्हें जब्त भी किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसके बाद 5000 डीजल चालित स्कूली बसों और वैन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पटना के डीटीओ श्रीप्रकाश ने जिले के सभी स्कूल संचालकों से डीजल बसों को सीएनजी में कर्न्वट करने को कहा है। पटना के बाद गया और मुजफ्फरपुर में भी डीजल वाली स्कूली बसें प्रतिबंधित की जाएँगी।

7.50 लाख का अनुदान : डीजल बस की जगह नई सीएनजी बस खरीदने पर बिहार स्वच्छ ईंधन (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना 2023 के तहत 30% या अधिकतम 7.50 लाख का अनुदान मिलेगा।

तीसरी बार बढ़ाई तारीख : राज्य कैबिनेट ने 2019 में ही निर्णय लिया था कि पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ ही दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ में 31 जनवरी 2020 से डीजल वाली गड़ियाँ नहीं चलेंगी। बाद में समय सीमा 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाई थी। अब 30 सितम्बर नई तारीख दी गई है।

फायदा : 30-35% कम कार्बन का उत्सर्जन : डीजल बस के मुकाबले सीएनजी बस कार्बन से संबंधित गैसों का 30-35 प्रतिशत तक कम उत्सर्जन करती है। एक लीटर डीजल में बस 5.5 किमी चलती है जबकि एक किलो सीएनजी से बस 7.5 से 8 किमी चलेगी।

प्रदूषण नियंत्रण विशेषज्ञ रविरंजन सिन्हा के मुताबिक एक लीटर डीजल में 720 ग्राम कार्बन होता है। इसके जलने से लगभग 2.6391 किग्रा कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।

गया-मुजफ्फरपुर में 15 साल पुराने ऑटो बंद : गया और मुजफ्फरपुर में भी 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाले ऑटो के साथ व्यावसायिक तीन पहिया वाहन 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित होंगे। सीएनजी चालित ऑटो को बढ़ावा दिया जाएगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 13.7.2023)**

पटना नगर निगम से ऑनलाइन नक्शा पास करने की सुविधा शुरू

• नक्शे का बैकलॉग को तेजी से खत्म किया जा रहा • 30 से अधिक नक्शों को ऑनलाइन पास किया गया है दो दिनों में • 60 दिनों के अंदर पास कर देना है, नक्शा आवेदन करने के तारीख से।

ऑनलाइन आवासीय या व्यावसायिक भवनों का नक्शा पास करने की प्रक्रिया पटना नगर में शुरू हो गई है। इससे संबंधित नए सॉफ्टवेयर पर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण अब नक्शा पास होने में किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है। आवेदन करने के करीब एक पखवाड़े में यह नक्शा पास हो जाता है।

सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से कर दिया था बंद : कुछ समय पहले इस सुविधा को शुरू किया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ समस्या आने के बाद बीच में बंद कर दिया गया था। अब इसे नए सिरे से शुरू कर दिया गया है। पटना के बाद अब यह सुविधा जल्द ही मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत अन्य नगर निगम क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही है। मुजफ्फरपुर में भी ऑनलाइन नक्शा पास करने की शुरूआत की गई थी, लेकिन कुछ समस्या आने की वजह से यहाँ भी यह मामला फिलहाल अटक गया है। जल्द ही यहाँ भी इसे शुरू किया जाना है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी बड़े एवं प्रमुख नगर निगमों में ऑनलाइन नक्शा पास करने की सुविधा को जल्द शुरू करने का आदेश दिया है।

वास्तुविद की सूची वेबसाइट पर जारी की गई थी : नियमानुसार, किसी व्यक्ति को ऑनलाइन नक्शा के लिए आवेदन करने के अधिकतम 60 दिन के अंदर इसे पास कर देना है। कुछ दिनों पहले नगर विकास एवं आवास विभाग ने पूरे बिहार के पंजीकृत वास्तुविद की सूची वेबसाइट पर जारी की थी। इससे नक्शा पास कराने में लोगों की सुविधा हो गई है। वास्तुविदों का पैनल सार्वजनिक होने से लोगों को इनको खोजना आसान हो गया है और वे आसानी से नियम संगत नक्शा बनवा सकते हैं। इसे ऑनलाइन पास कराना भी आसान होगा।

वास्तुविद के हस्ताक्षर के बाद आवेदन करना होगा : विभाग के सूचीबद्ध सिविल इंजीनियर रंजीत कुमार ने बताया कि वास्तुविद से बने हुए नक्शे के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गली के अनुसार नक्शा तैयार होता है। आवेदन के साथ की प्लान यानी भूखंड की स्थिति, खाता, खेसरा, जमाबंदी आदि का विवरण देबसाइट पर देना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फाउंडेशन डिटेल आदि की जानकारी देनी होगी। नक्शे को प्रिंट कर आवेदक और वास्तुविद के हस्ताक्षर करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

"पटना नगर निगम में ऑनलाइन नक्शा पास करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले से शुरू हुई यह प्रक्रिया सही तरीके से काम कर रही है। इससे लोगों को काफी सहूलियत होने लगी है। निर्धारित समय में लोगों को ऑनलाइन नक्शा प्राप्त हो जाता है।"

– **अनिमेष कुमार पराशर**, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.7.2023)

सदर, सिटी और ग्रामीण... तीन हिस्सों में बंटेगा पटना सदर अंचल का काम

बड़ी पहल **दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र, लोक शिकायत, नापी से संबंधित निष्पादन में तेजी आएगी**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर पटना सदर अंचल को तीन भाग में बांट कर काम के लोड को कम करने की तैयारी की है। इससे सदर अंचल में आने वाले दाखिल-खारिज, परिमार्जन, प्रमाण पत्र, लोक शिकायत, नापी से संबंधित आवेदनों के निष्पादन में तेजी आएगी। इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सदर अंचल को तीन भाग में बांटने पर चर्चा हुई थी। इस दौरान तीनों अंचल की अलग-अलग नजरी नक्शा सहित कुछ दस्तावेज की मांग की गई है। इस पर जल्द बैठक होगी। 25 लाख की आबादी वाले अंचल को तीन भाग सदर, सिटी और ग्रामीण में बांटने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जिले में 23 अंचल सह प्रखंड कार्यालय हैं।

ये होंगे पटना सदर से बंटे नए अंचलों के नाम

• **सदर अंचल :** 23 मौजा (पुराना सदर कार्यालय) पटना सदर अंचल में 23 राजस्व ग्राम, 1 पंचायत, 3 हलका • **सिटी अंचल :** 25 मौजा (कुम्हरार पार्क स्थित कार्यालय) यही वर्तमान कार्यालय है। पटना सिटी अंचल में 25 राजस्व ग्राम, 2 हलका • **ग्रामीण अंचल :** 19 मौजा (दीदारगंज के पास कार्यालय) पटना ग्रामीण अंचल में 19 मौजा, 6 पंचायत, 3 हलका।

विभाजन का वजह : • 25 लाख की आबादी राज्य का सबसे बड़ा अंचल • 5 विस और दो अनुमंडल वाला इकलौता अंचल

जिला और सदर अंचल की वर्तमान स्थिति

आवेदन	जिला में आवेदन	सदर अंचल का आवेदन	जिले के एक अंचल का औसत
दाखिल-खारिज	1.95 लाख	23 हजार	7800
प्रमाण पत्र	21 लाख	5 लाख	74 हजार
लोक शिकायत	2800	484	108
हाइकोर्ट के मामले	341	131	10
मापी	1800	300	72
भूमि विवाद	3440	350	140
अतिक्रमण	330	38	13

जिले में कुल जमाबंदी करीब 15 लाख, सदर अंचल में 247289 जमाबंदी है।

सदर अंचल में दो अनुमंडल, 5 विधानसभा : पटना सदर अंचल में नगर निगम के 75 वार्ड व ग्रामीण क्षेत्र की 7 पंचायतें शामिल हैं। यह हिस्सा 5 विधानसभा व दो अनुमंडल का है। इसमें दीघा, बांकीपुर, कुम्हार, पटना साहिब के साथ फतुहा विधानसभा का हिस्सा है। पटना सदर अनुमंडल व सिटी अनुमंडल का हिस्सा शामिल है।

17 जिलों से अधिक यहाँ की आबादी : 17 जिलों से पटना जिला के पटना सदर अंचल की आबादी अधिक है। इसमें अरवल, कैमूर, किशनगंज, खगडिया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, नवादा, बक्सर, बांका, मधेपुरा, मुंगेर, लाखीसराय, सहरसा, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा शामिल हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इनमें से किसी भी जिला की आबादी 25 लाख नहीं है जबकि अकेले पटना सदर अंचल की आबादी 25 लाख है।

सदर अंचल की सीमा : पूरब में कच्ची-दरगाह-दीदारगंज, पश्चिम में जगदेव पथ व दीघा, दक्षिण में मलाही पकड़ी व बिग्रहपुर, उत्तर में गंगा नदी के पार नकटा दियारा। इसका क्षेत्रफल 34435 एकड़ है। पूरब में कच्ची दरगाह से लेकर पश्चिम में जगदेव पथ तक 25 किसी लंबाई है। वहीं चौडाई नकटा दियारा से लेकर फतेहपुर तक 15 किमी है। यहाँ दो रजिस्ट्री का ऑफिस है। इसमें जिला निबंधन और पटना सिटी निबंधन ऑफिस शामिल है।

"पटना सदर अंचल के वर्क लोड को कम करने के लिए 3 भाग में बांटने का प्रस्ताव है। मंजूरी मिलते ही आवेदनों के निष्पादन में तेजी आएगी।" -

– **डॉ. चन्द्रशेखर सिंह**, डीएम, पटना

(साभार : दैनिक भास्कर, 5.7.2023)

बिहार में हर जमीन मालिक का होगा अपना भूमि अकाउंट नंबर

• जमाबंदी के कामजात नंबर से होंगे लिंक • दस्तावेज पर मोबाइल नंबर भी अंकित रहेगा • 4 करोड़ 18 लाख जमाबंदी है बिहार में

सूबे के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर (यूआईडी) होगा। इसी उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का काम शुरू हो गया है। राजस्व कर्मचारी एप में यह व्यवस्था की गई है।

राज्य के अधिकांश अंचल कार्यालयों में इस बाबत नेटिस भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। भूमि एकाउंट बनाने का उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना, एक जमीन की दोहरी जमाबंदी नहीं होने और भूमि विवाद के मामले को कम करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के डीएम को इस बाबत पत्र भेज दिया है। सूबे में चार करोड़ 185 लाख जमाबंदी है। भूमि के सर्वेक्षण के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह जानकारी मिली कि ज्यादातर भूमि में फर्जीवाड़ा का काम रजिस्टर-2 में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। एक जमीन दो या दो से अधिक लोगों के नाम जमाबंदी कर देने की शिकायत थी। इसीलिए राजस्व कर्मचारी एप को आधुनिक बनाया गया है ताकि ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। इसीलिए जमाबंदी पेपर की आधार नंबर से लिंक करने पर यह समस्या समाप्त हो जाएगी क्योंकि आधार से लिंक जमीन के साथ यदि कोई फर्जीवाड़ा करता है तो पहले ही जानकारी मिल जाएगी।

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जमाबंदी की आधार से लिंक करने का काम स्वैच्छिक है। इसके फायदे के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है।

राजस्व कर्मचारी एप पर काम शुरू : सूबे के राजस्व कर्मचारियों के लिए बनाए गए एप पर जमीन को आधार नंबर से लिंक करने का काम शुरू हो गया है। प्रत्येक जिले में राजस्व कर्मचारी लोगों से आधार नंबर माँग रहे हैं ताकि उनकी जमीन को लिंक किया जा सके। अधिकांश अंचल कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है।

सरकारी जमीन का अलग अकाउंट नंबर होगा : सरकारी जमीन जहाँ भी है उसके सर्वेक्षण का काम चल रहा है। सरकारी जमीन का भी अकाउंट होगा ताकि सरकार के पास कितनी जमीनें बची हैं तथा कितनी जमीन पर निर्माण या अन्य कार्य किया जा चुका है, इसकी जानकारी मिल सके। सरकारी जमीन का कोई गलत तरीके से खाता नहीं खोल सकेगा। नई व्यवस्था में इससे काफी लाभ मिलेगा।

"जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक कराया जा रहा है। इससे जमीन का फर्जीवाड़ा रुकेगा। भूमि विवाद कम होंगे तथा एक जमीन की दोहरी जमाबंदी पर अंकुश लगेगा। भविष्य में यह प्लान है कि प्रत्येक जमीन मालिक का भूमि अकाउंट बनाया जाए। यदि कोई भी उसकी जमीन के साथ फर्जीवाड़ा करेगा जानकारी मिल जाएगी।

– **आलोक कुमार मेहता**, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.7.2023)

दस्तावेजों के सत्यापन बाद ही बनेगा आधार कार्ड

पोर्टल के माध्यम से जाँच करेगी राज्य सरकार

• राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया निर्णय, अधिकतम डेढ़ माह में पूरा होगा सत्यापन • जिला में डीडीसी, अनुमंडल में एसडीओ, प्रखंड में राजस्व पदाधिकारी नोडल अफसर • ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी डीएम को जारी दिया दिशा-निर्देश

नये आधार कार्ड बनने से पहले अब राज्य सरकार इससे जुड़े दस्तावेजों की जाँच करेगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आधार कार्ड बनेंगे। स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से इसका सत्यापन किया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा राज्य सरकार का पोर्टल तैयार किया जा रहा है। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डेढ़ महीने की अधिकतम समय सीमा तय की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर नये आधार पंजीकरण में किसी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की जा रही है।

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. एन. सरवण कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी करें। पोर्टल के सफल कियान्वयन को लेकर नोडल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। इसमें राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से नामित पदाधिकारी, जिला स्तर पर डीडीसी, सब डिविजन स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड स्तर पर राजस्व पदाधिकारी को सत्यापन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। डॉ. एन. सरवण कुमार ने बताया कि यूआईडीएआई से 20 जुलाई को ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है।

45 दिनों बाद स्वतः हो जाएगा सत्यापन : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दस्तावेज सत्यापन के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय तय किया है। डेढ़ माह के भीतर जिन आवेदकों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई, उनके आधार कार्ड निर्गत कर दिये जायेंगे। इस हाल में यह माना जाएगा कि उक्त व्यक्ति का आधार निर्गत करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं : ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविद मंडल ने बताया कि नया आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आवेदन के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। यूआईडीएआई में आए नए आवेदन स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल पर आ जाएँगे और वहाँ से आवेदकों के दस्तावेज डीडीसी, एसडीओ तथा राजस्व पदाधिकारी (आरओ) को जाँच के लिए उपलब्ध हो जाएँगे, जिससे सत्यापन की कार्रवाई हो सके।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.7.2023)

प्लेटफॉर्म पर फोन चार्ज करते समय रहें सतर्क

• रेल पुलिस ने पटना जंक्शन पर बजवाया बैंड • साइबर अपराध के खिलाफ यात्रियों को किया जागरूक

'सभी रेल यात्री ध्यान से सुनें! ट्रेन में बैठने के बाद साइबर अपराधियों से सावधान रहें। अपने एटीएम कार्ड, मोबाइल व अन्य सामान का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करें'। रेल पुलिस ने पटना जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म पर बीएमपी का बैंड

शो करवाया और लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। रेल पुलिस के जवान हाथों में बैनर लेकर चल रहे थे।

रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि प्लेटफॉर्म या वेटिंग रूम में मोबाइल चार्ज करने से पहले अगर सावधानी नहीं बरती गयी तो साइबर अपराधी लोगों के खातों में सेंध लगा देंगे। फिलहाल साइबर अपराधी कई तरीकों से लोगों को जाल में फांस रहे हैं। इनमें तीन ऐसे हैं जिसका शिकार रेल यात्री बन रहे हैं।

जूस जैकिंग : साइबर अपराधी प्लेटफॉर्म या वेटिंग रूप में चार्जर में अपना केबल लगा देते हैं। इसके जरिये लोगों की निजी जानकारियाँ उन्हें मिल जाती हैं।

आरएफआईडी फ्रॉड : रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन टेक्निक (आरएफआईडी) का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी एटीएम कार्ड से रुपये की निकासी कर लेते हैं। साइबर अपराधियों के हाथ में एक मशीन होती है। इसी मशीन के जरिये वे पॉकेट में रखे एटीएम कार्ड से रुपये की निकासी कर लेते हैं। अक्सर ट्रेन के डिब्बे में साइबर अपराधी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।

" साइबर अपराध को लेकर रेल यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। कई बार साइबर अपराधी रेल यात्रा कर रहे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर रेल यात्रियों को पहले से साइबर अपराध के बारे में जानकारी मिलेगी तो वे सतर्क रहेंगे। – **अमृतेंदु शेखर ठाकुर**, रेल एसपी

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.7.2023)

राज्य सरकार ने जमीन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का दिया निर्देश

जमीन नहीं मिलने से वर्षों से छह बड़ी रेल परियोजनाएँ अटकीं, लागत चार गुनी बढ़ी

राज्य में करीब आधा दर्जन महत्वपूर्ण रेल लाइनों का निर्माण और विकास जमीन अधिग्रहण की पेच के कारण अधर में है। पटना जिले में बाढ़-बख्तियारपुर थर्ड बड़ी नयी रेल लाइन (बख्तियारपुर फ्लाइ ओवर), बिहारशरीफ-बरबीघा नयी रेल लाइन, गया जिले में बंधुआ पैमार रेल लाइन, हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन, छपरा-मुजफ्फरपुर नयी रेल लाइन और अररिया-गलगलिया नयी रेल लाइन परियोजना की गति धीमी है। निर्माण में देरी से लागत करीब चार गुना अधिक बढ़ गयी है। राज्य सरकार ने इन सभी रेल लाइनों के निर्माण के लिए जल्द जमीन संबंधी समस्याओं को दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।

सूत्रों के अनुसार बिहारशरीफ-बरबीघा नयी रेल लाइन करीब 29 किमी लंबाई में बनना है। इसकी अनुमानित लागत करीब 1473 करोड़ रुपये है। इसके निर्माण की घोषणा 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इसमें शेखपुरा जिला में भूमि अर्जन की कारवाई की जा रही है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला से मांगी गयी है।

2004 में शुरू हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन अधूरी : हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाइन का निर्माण करीब 171 किमी लंबाई में होना था। 2004 में इस परियोजना की अनुमानित लागत 528.65 करोड़ रुपये थी। निर्माण में देरी से लागत बढ़कर 2066.78 करोड़ रुपये हो गयी। इस परियोजना के लिए पूर्वी चपारण जिला में दो चरणों में कुल 818.72 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। इसमें से 534.34 एकड़ भूमि का दखल कब्जा रेलवे को सौंप दिया गया है।

बंधुआ से पैमार रेल लाइन का काम धीमा : गया जिले में बधुआ से पैमार तक करीब 11 किमी लंबाई में रेल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इस परियोजना में गया जिला में भूमि अर्जन हो चुका है। वर्ष 2019 में ही रेलवे को दखल कब्जा सौंप दिया गया है। परियोजना से संबंधित छूटे-खेसराओं के अर्जन के लिए गया जिले के भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।

बाढ़-बख्तियारपुर के बीच बिछनी है थर्ड लाइन : बाढ़ से बख्यियारपुर के बीच तीसरे रेलवे ट्रैक का निर्माण करीब 18 किमी लंबाई में हो रहा है। इसका निर्माण होने से पैसेंजर गड़ियों के परिचालन में सुविधा होगी। मालगाड़ी को आने-जाने के लिए अलग ट्रैक होगा। एनटीपीसी की कोयला आपूर्ति समेत सीमेंट और खाद्य सामग्री की आपूर्ति में भी आसानी होगी। बाढ़-बख्तियारपुर थर्ड बड़ी नयी रेल लाइन (बबितयापुर फ्लाइ ओवर)-प्रस्तावित परियोजना हेतु पटना जिलान्तर्गत कुल 19.733 एकड भूमि के अर्जन में 32.33 करोड़ में से करीब 25 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। अन्य कार्य जल्द करने का निर्देश दिया गया है।

15 साल से लटकी है छपरा-मुजफ्फरपुर नयी रेल लाइन : मुजफ्फरपुर से छपरा को जोड़ने वाले छपरा-मुजफ्फरपुर नयी रेल लाइन के लिए वर्ष 2007-08 के बजट में 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी, लेकिन 15 साल में यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अब इसकी लागत करीब 26 सौ करोड़ रुपए हो गयी है। इसमें सारण और मुजफ्फरपुर जिला में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस रेल लाइन का निर्माण फिलहाल प्राथमिकता में सबसे नीचे है।

अररिया-गलगलिया नयी रेल लाइन : 110 किलोमीटर लंबी इस रेललाइन परियोजना पर 2132 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसमें अररिया और किशनगंज जिले में जमीन की समस्या है।

"रेल परियोजनाओं के निर्माण में राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। जमीन की समस्या जल्द खत्म कर तेजी से निर्माण का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।"

– **बिरेन्द्र कुमार**, मुख्य जनसपर्क अधिकारी, पूर्व मध्य रेल

(साभार : प्रभात खबर, 2.7.2023)

बिहार से नेपाल आना-जाना होगा आसान, व्यापारियों को होगी सुविधा

जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक किया विस्तार

भारत-नेपाले मैत्री रेल सेवा के तहत जयनगर से बर्दीवास रेलखंड पर दूसरे फेज में अब बिजलपुरा तक रेल का परिचालन शुरू होगा। नेपाली प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जयनगर इंडो-नेपाल रेल परियोजना के दूसरे फेज का रेलखंड पर रेल लाइन कुर्था से बिजलपुरा (भंगहा) नेपाल तक परिचालन का उद्घाटन होगा। हालांकि जनता के लिए यह ट्रेन सेवा 17 जुलाई से उपलब्ध होगी। नेपाल रेल अधिकारियों व इस्कॉन कोंकण रेलवे के अधिकारी हरी झंडी दिखाकर जनकपुरधाम के लिए ट्रेन को रवाना करेंगे। नेपाली रेलवे के जीएम निरंजन झा ने बताया कि 16 जुलाई को बिजलपुरा से जनकपुरधाम तक रेल परिचालन होगा। 17 जुलाई से पहली ट्रेन सुबह 7.30 नेपाली समय पर जयनगर के लिए खुलेगी।

2014 से शुरू हुई थी परियोजना : गौरतलब है कि तीसरे फेज का बिजलपुरा से वर्दीवास तक 17.5 किलोमीटर नेपाल सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण नहीं कराये जाने के कारण लंबित है। यह परियोजना 2014 से शुरू हुइ थी। पिछले नौ वर्षों में 52 किमी तक रेल लाइन, स्टेशन समेत अन्य संसाधन तैयार है। दो अप्रैल, 2022 को दोनों देश के पीएम ने जयनगर से कुर्था तक 34 किमी के रेल परिचालन को हरी झंडी दिखायी थी।

15 महीने के बाद ट्रेन सेवा का हुआ विस्तार : भारत-नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत चलने वाली ट्रेन सेवा का विस्तारीकरण लगभग 15 महीने के बाद किए जाने से दोनों देश के लोगों में प्रसन्नता का माहौल है। बता दें कि दो अप्रैल 2022 को दोनों देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से जयनगर से कुर्था तक डेमू सवारी गाड़ी के परिचालन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। अब 16 जुलाई से कुर्था से बिजलपुरा तक 17 किमी में ट्रेन सेवा का विस्तारीकरण किया जा रहा है।

(साभार : प्रभात खबर, 16.7.2023)

गंगा पथ पर 30 करोड़ से वेंडिंग जोन

गंगा पथ पर दो किलोमीटर लंबा वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। यह दीघा गोलंबर से गंगा चैनल ब्रिज तक होगा। इस दो किलोमीटर के स्ट्रेच को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ कई जन सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुम्बई के जुहू चौपाटी की तर्ज पर जेपी गंगा पथ को विकसित किए जाने की योजना तैयार की गयी है। आम जन को अपने शहर में ही हैपेनिंग प्लेसेस का आनंद उठाने का

सौका मिलेगा। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हैपेनिंग प्लेसेस को ध्यान में रख कर गंगा पथ पर वेंडिंग जोन का विकास करने जा रही है। दीधा गोलंबर से गंगा चैनल ब्रिज तक पूरे इलाके को व्यवस्थित करने की तैयारी है। इस पूरी परियोजना को पूर्ण करने में लगभग 30 करोड़ खर्च होंगे। अभी गंगा पथ के पेवर ब्लाक पर ही वेंडिंग जोन बनाए जाने है। आमजन को पैदल घूमने के लिए 4-5 मीटर की जगह छोड़ी जाएगी। उसके बाद के दो मीटर में वेंडिंग जोन होगा। वेंडिंग जोन के साथ-साथ खूबसूरत दृश्य बनाने के लिए लैंडस्केपिंग होगी। इस दो किलोमीटर के स्ट्रेच में हर 500 मीटर पर शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ दुकान लगाने वालों के लिए बर्तन धोने की जगह भी होंगी। वेंडिंग जोन के बाद नीचे की तरफ दो मीटर का वाक-वे होगा। इस पर सोलर लाइट होगी। आने वाले लोगों की गड़ियों की पार्किंग के लिए दो स्थान पर वाहन पार्किंग बनायी जाएगी। पहली दीघा गोलंबर और दूसरी गंगा चैनल ब्रिज के पास होगी। यहाँ 150 गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। इस पूरे इलाके के विकास से यहाँ दुकान लगाने वाले वेंडर को भी सहूलियत होंगी।

"गंगा पथ पर प्रतिदिन शाम में लोग पहुँच रहे हैं। उन्हें नये अंदाज में वेडिग जोन बनाकर सौंपा जाएगा। महानगरों में मिलने वाली सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। 30 करोड़ खर्च होगा। नीचले हिस्से में वाकवे बनाया जाएगा। पटनावासी इसे पसंद करेंगे।"

– **अनिमेष कुमार पराशर**, एमडी, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड

47 फीट ऊँचे डबल डेकर फ्लाईओवर पर अगले साल से फर्राटा भरेंगे वाहन

कारगिल चौक से एनआइटी तक अशोक राजपथ पर 47 फीट ऊँचे डबल डेकर फ्लाईओवर पर अगले साल से वाहन फर्राटा भर सकेंगे। एनआइटी सिरे से डबल डेकर फ्लाईओवर आकार लेने लगा है। करीब 422 करोड़ की लागत वाली फ्लाईओवर परियोजना का करीब 20 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान अशोक राजपथ पर दोनों लेन में वाहनों का आवागमन पूर्व की तरह होगा। फ्लाई ओवर के दोनों तल पर कारगिल चौक से एनआइटी तक वन-वे ट्रैफिक डिजाइन किया गया है।

• 7.5 मीटर फ्लाईओवर की चौड़ाई • 1.50 किमी प्रथम तल की लंबाई • 24.60 फीट फ्लाईओवर प्रथम तल की ऊँचाई • 47.80 फीट फ्लाईओवर दूसरे तल की ऊँचाई • 2.20 किमी दूसरे तल की लंबाई

फ्लाईओवर पर लेन बदलने का नहीं होगा विकल्प : बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप कही भी लेन नहीं बदल सकते हैं। कारगिल चौक से एनआइटी की ओर जाने के लिए 2. 20 किलोमीटर लंबे दूसरे तल का उपयोग किया जाएगा। फ्लाई ओवर का प्रथम तल एनआइटी की ओर से कृष्णा घाट से शुरू हीकर बीएन कालेज के पास समाप्त होगा।

कृष्णा घाट रोटरी इसे जोड़ देगी जेपी गंगा पथ से : पटना सिटी से पीएमसीएच. गाँधी मैदान और दीघा को जोड़ने के लिए कृष्णा घाट रोटरी का निर्माण कराया जा रहा है। गाँधी मैदान से पटना सिटी जाने वाले वाहन कृष्णा घाट के निकट जेपी गंगा पथ पकड़ सकेगे। पटना सिटी की ओर से गाँधी मैदान की ओर आने के लिए कृष्णा घाट रोटरी से डबल डेकर फ्लाई ओवर पकड़ सकेंगे।

पीएमसीएच, सिविल कोर्ट व मखनियाँ कुआँ में गतिरोध : गाँधी मैदान की ओर से एनआइटी की और सिविल कोर्ट गेट, पीएमसीएच. गोविद मित्रा रोड और मखनियाँ कुआँ मोड पर निर्माण की गति धीमी है। पीएमसीएच गेट के निकट मेट्रो निर्माण कार्य चल रहा है। गोविद मित्रा रोड से मखनियाँ कुआँ तक सड़क सकीर्ण होने के कारण कार्य आरंभ नहीं हो सका है।

पीएमसीएच की पार्किंग से सीधे जुड़ेगा फ्लाईओवर : डबल डेकर फ्लाईओवर का डिजाइन सिर्फ पीएमसीएच मल्टी स्टोरी पार्किंग को जोड़ेगा। सर्विस लेन के साथ फ्लाईओवर के प्रथम और दूसरे तल की गाड़ी अपने-अपने लेबल की पार्किंग से जुड़ेंगे। पार्किंग से आवागमन के लिए भी अलग-अलग लेन होगी ताकि ट्रैफिक मे कोई बाधा न आए।

"अशोकर राजपथ पर मदिर और अतिक्रिमण की कुछ बाधाएँ थी। जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के साथ समीक्षा कर इन्हें दूर कर लिया गया है। यह राजधानी की महत्वाकाक्षी परियोजना है। जिसे हर हाल में प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा।"

– **अभय कुमार सिंह**, अध्यक्ष सह प्रवंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम। **(साभार : दैनिक जागरण, 13.7.2023)**

खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष बने विधायक संजीव चौरसिया

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पद पर दीघा विधायक संजीव चौरसिया और महासचिव नवीन कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए।

वे इस पद पर बीते एक वर्ष से ज्यादा समय से कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में थे। बताते चलें कि संघ के पूर्व अध्यक्ष बलराम प्रसाद की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त हो गया था। एग्जीबिशन रोड स्थित चांदी हाउस में हुई व्यवसायी संघ के आमसभा की बैठक में नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। कार्यकारिणी में महासचिव का पद एक बार फिर नवीन कुमार को मिला है। महासचिव पद पर नवीन कुमार की यह दूसरी पारी होगी। संजीव चौरसिया ने कहा कि व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए उचित मंच पर आवाज उठाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने व्यापारियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.7.2023)**

कागज उद्योग में पानी का इस्तेमाल घटा

अब यह उद्योग कागज उत्पादन में 80 फीसद कम इस्तेमाल कर रहा है पानी

देश में कागज उद्योग ने पानी की खपत में 80 प्रतिशत की कटौती की है और वह इसमें और कमी लाने पर विचार कर रहा है। इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए) ने यह जानकारी दी। आईपीएमए ने कहा कि उद्योग ने पिछले कुछ साल में टिकाऊ या सतत उत्पादन प्रक्रियाओं में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। आईपीएमए ने बयान में कहा कि कई उद्योग के कारोबारियों ने अपने कार्बन और जल उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपाय किये हैं। एक बयान में कहा गया है कि कम्पनियों ने पानी और ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान को तैनात करने के अलावा खुद के लिए बिजली का उत्पादन किया है। एकीकृत पेपर मिलों ने एक टन कागज का उत्पादन करने के लिए पानी के उपयोग को पहले के 200 घनमीटर से घटाकर 40 घनमीटर कर दिया है। इसे और कम करने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है।'

'भारतीय कागज उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में टिकाऊ उत्पादन प्रक्रिया और क्षमता में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।' कागज उद्योग ने बिजली की खपत कम कर दी है और एकीकृत संयंत्र पल्पिंग प्रक्रिया से बायोमास का उपयोग करके 40 प्रतिशत बिजली का उत्पादन कर रहे हैं।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 25.7.2023)

जीएसटी पंजीयन में चेहरा व रेटिना की भी होगी स्कैनिंग

कानपुर : फर्जी पंजीयन रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल जल्द ही एक और काम शुरू करने जा रही है। इसके तहत कंपनी के निदेशक, फर्म के प्रोपराइटर, साझेदार, दुकान मालिक के चेहरे और रेटिना की भी स्कैनिंग होगी। उसके बाद ही उन्हें जीएसटी का पंजीयन दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की तरफ से इसे हरी झंडी दे दी गई है, इसके लिए आदेश जारी होना बाकी है।

अभी कारोबारी बिना सामने आए आनलाइन जीएसटी में पंजीयन ले लेते हैं। कारोबारियों के सामने नहीं आने से ही अभी फर्जी पंजीयन के साथ आइटीसी की चोरी भी खूब हो रही है। राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए अब जीएसटी ने बायोमीट्रिक सत्यापन की तैयारी की है। अब जो भी कंपनी, फर्म, सोसाइटी या दुकान के संचालक होंगे, उनका बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी भी समय जब जाँच की जाए तो यह पता रहे कि कौन सा पंजीयन किस कारोबारी ने कराया। पंजीयन फर्जी निकलने पर उन कारोबारियों

को पकड़ना भी आसान होगा। रेटिना और चेहरा, दोनों स्कैन होने से कारोबारी कहीं और से भी पंजीयन कराने की कोशिश करेगा तो सिसटम उसे पकड़ लेगा। अगर वह अपना नाम बदलता है तो यह बात भी पकड़ में आ जाएगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 24.7.2023)

औद्योगिक लाइसेंस तीन की जगह 15 साल तक मान्य

सरकार ने कहा कि आईडीआर अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंस तीन साल के बजाय 15 वर्ष के लिए वैध होंगे। लाइसेंस जारी करने के प्रावधान उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम के तहत किए गए हैं।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने कहा कि पहले जारी सभी प्रेस नोट को निरस्त करते हुए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को तीन साल से बढ़ाकर 15 साल किया जा रहा है। विभाग ने कहा कि संबंधित मंत्रालय निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप तीन साल के लिए लाइसेंस अवधि बढ़ा सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 25.7.2023)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

करदाता शिकायत निवारण अभियान

वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारी करेंगे करदाताओं की शिकायतों का निपटारा

मुख्यालय स्तर पर - **प्रत्येक माह का प्रथम मंगलवार**
पूर्वाह्न 11 : 00 बजे से 1 : 00 बजे तक
स्थान : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, ग्राउन्ड फ्लोर, एनेक्सी-3, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना

प्रमंडल स्तर पर - **प्रत्येक माह का द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार**
पूर्वाह्न 11 : 00 बजे से 1 : 00 बजे तक
स्थान : राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) का कार्यालय

अंचल स्तर पर - **प्रत्येक माह का द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार**
पूर्वाह्न 11 : 00 बजे से 1 : 00 बजे तक
स्थान : स्थानीय अंचल कार्यालय, वाणिज्य-कर विभाग

करदाता इन शिविरों में उपस्थित होकर अथवा ई-मेल के द्वारा भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

Mail ld - ctdbinhargrievances@gmail.com

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव
बिहार, पटना।

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.7.2023)

अब बचना मुश्किल

अभी हेलमेट नहीं लगाने समेत पाँच ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कैमरों की नजर

जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल पार किया तो 5-5 हजार जुर्माना लगेगा, दो सप्ताह बाद से कटेगा ऑनलाइन चालान

बीमा नहीं होने और ओवरलोडिंग पर अभी मैनुअली वसूला जा रहा जुर्माना

ऐसे होगी ऑनलाइन पेमेंट : ट्रैफिक एसपी में पदस्थापित प्रमोद कुमार ने बताया कि ऑनलाइन फाइन जमा करने के लिए वेबसाइट मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट पर जाना होगा। उसमें वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसपर क्लिक करने पर एक वेबसाइट खुलेगी। यहाँ दो ऑप्शन आएंगे-चालान नंबर और वाहन नंबर। दोनों में से एक चुनना है। वाहन नंबर चुनेंगे तब चेसिस के आखिरी पाँच नंबर भरने होंगे। फिर नेट बैंकिंग में जाना है। ओटीपी आएगा। उसे भरने के बाद पीरिएड आएगा। अभी 23-24 चुनना है। फिर पाँच बैंकों एसबीआई, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में से जिससे पेमेंट करना चाहते हैं, उससे जुड़ा अपना मोबाइन नंबर भरना है। उसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा।

ऑफलाइन पेमेंट की भी सुविधा : ट्रैफिक एसपी कार्यालय में ऑफलाइन पेमेंट पहले से हो रहा है। यह रोज हो रहा है। सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, जबकि रविवार को दिन के 12 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ ऑफलाइन फाइन जमा कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर **6204319799** से ऑफलाइन पेमेंट की जानकारी ले सकते हैं।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना

बिना हेलमेट बाइक चलाना	– –	1000
बिना हेलमेट बाइक पर पीछे बैठना	– –	1000
बाइक पर ट्रिपल लोड	– –	3000
गलत दिशा से वाहन चलाना	– –	5000
ओवरस्पीड वाहन चलाना	– –	2000
जेब्रा क्रॉसिंग पार करना	– –	5000
ट्रैफिक सिग्नल पार करना	– –	5000
गाड़ी का बीमा नहीं होना	– –	2000
ओवरलोडिंग प्रति पैसेंजर	– –	200

ओवरलोड ट्रक या अन्य वाहन : 20500 रुपए और उसके बाद 2000 रुपए प्रति टन
(जुर्माना रु. में)

स्कूलों को अपनी व्यवस्था करने का निर्देश : ट्रैफिक एसपी पूरण झा ने बताया कि सभी स्कूल बस संचालकों और प्रबंधकों को कहा गया है कि वे अपने-अपने स्कूल के छात्रों के लिए अपने स्तर से व्यवस्था करें। ट्रैफिक जाम होने पर संबंधित स्कूल बस संचालक और प्रबंधक पर कार्रवाई होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 21.7.2023)

अब पटना के तीनों ट्रैफिक थानों में भी ई-चालान की राशि जमा होगी

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को रोजाना ई-चालान भेजा जा रहा है। ट्रैफिक एसपी कार्यालय में जुर्माना भरने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इसको देखते हुए तीनों थानों में जुर्माना की राशि जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। 24 या 25 जुलाई से इसे शुरू कर दिया जाएगा। गाँधी मैदान ट्रैफिक थाना, बाइपास ट्रैफिक थाना और सगुना मोड़ स्थित ट्रैफिक थाने में ई-चालान पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया है।

ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि तीनों ट्रैफिक थानों में तैनात एक-दो अधिकारियों को ई-चालान की ट्रेनिंग दी जाएगी। 24 या 25 जुलाई से तीनों ट्रैफिक थानों में ई-चालान की रकम जमा होने लगेगी। ट्रैफिक एसपी कार्यालय में पहले की तरह जमा होगा। इधर, मैनुअली और कैमरों से 1337 वाहनों का 15 लाख 27 हजार 300 का चालान काटा गया। अटलपथ गोलंबर पर 248 वाहनों से 2.52 लाख का जुर्माना किया गया।

(साभार : दैनिक भास्कर, 23.7.2023)

कैमरे की जद से जितनी बार वाहन गुजरेंगे, उतनी बार कटेगा इ-चालान

बढ़ेगी सख्ती, एडीजी ट्रैफिक ने कहा, चालान भेजने से पहले दो स्तरों पर किया जा रहा है वेरिफिकेशन

ट्रैफिक नियमों का उल्लंधन करने वाले पटना में लगे कैमरों की जद से बच नहीं सकेंगे। जितनी बार इन कैमरों की जद से होकर गुजरेंगे, उतनी बार उनका इ-चालान कट सकता है। बिहार पुलिस के एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने स्पष्ट किया कि एमवी एक्ट में एक बार इ-चालान कटने पर दोबारा इ-चालान काटे जाने से छूट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। पत्रकारों को इंटीग्रेटेड

कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से इ-चालान प्रक्रिया की जानकारी देने के बाद एडीजी ने इ-चालान को लेकर फैली कई भ्रांतियों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रैफिक एसपी, पटना ने ग्रिवांस सेल का गठन किया है, जिसके नंबर 9431820414 और इ-मेल आइडी पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। इस मौके पर नगर आयुक्त अनिमेष पराशर, अपर नगर आयुक्त शीला इरानी और पटना ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा भी मौजूद रहे। एडीजी ट्रैफिक ने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को 402 किमी लंबे ओएफसी नेटवर्क और बड़ी संख्या में एएनपीआर, बुलेट व पीटीजेड कैमरों से जोड़ा गया है। कैमरे के माध्यम से स्वत: ही उलघन करने वालों की तस्वीर सिस्टम में सेव हो जाती है।

50 जगहों पर लगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स : नगर आयुक्त ने बताया कि पटना में 50 स्थानों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाये गये हैं। इसमें मौजूद हेल्प बटन को दबा कर किसी भी आकस्मिक स्थिति में व्यक्ति सहायता माँग सकता है।

90 दिनों में जमा करें जुर्माना, वरना फंसेंगे : एडीजी ने बताया कि जुर्माना जमा करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा की बाध्यता है। इस बीच दो बार नोटिस जारी किया जाता है। अगर नहीं करते हैं, तो उनको सूची रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी डीटीओ को चली जायेगी। इसके बाद संबंधित वाहन के ट्रांसफर, सेल, परमिट आदि में परेशानी हो सकती है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 19.7.2023)**

सड़कों के चौड़ीकरण को 2330 करोड़

राज्य के 15 जिलों में 18 सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 2330 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है।

बिहारशरीफ, पटना, वैशाली, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा, कटिहार, सीतामढ़ी व किशनगंज में इस सड़कों का चौड़ीकरण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि इस योजना के तहत 414.232 सड़कों को चौड़ी करने के साथ-साथ उन्हें मजबूत बनाया जाएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.7.2023)

एक से 15 अगस्त तक पटना में चलेगा
'मेरी सड़क, मेरी जवाबदेही' अभियान

रोड पर गंदगी फैलाई तो कहलाएँगे सड़क शत्रु, देना होगा 500 जुर्माना

'मेरी सड़क, मेरी जवाबदेही' कार्यक्रम एक अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सड़क पर आदतन गंदगी फैलाने वाले लोगों, घरों, दुकानों को सड़क शत्रु के रूप में चिह्नित किया जाएगा। ऐसे लोगों की सूची उनके नाम के साथ सड़क पर लगाई जाएगी। सड़क शत्रुओं से 500 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के अंतर्गत पटना को कचरा मुक्त बनाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 'मेरी सड़क मेरी जवाबदेही' कार्यक्रम चलेगा। इसके अंतर्गत सभी वार्ड की सड़कों की विशेष सफाई होगी। मुख्य सड़कों की मशीनों से धुलाई होगी और सड़क पर कोई निर्माण सामग्री न हो ये सुनिश्चित किया जाएगा।

निरीक्षकों का रहेगा नंबर : सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाएगी। सफाई कर्मी, सेक्टर सुपरवाइजर एवं सफाई निरीक्षक की सूची संबंधित सड़क के आसपास दीवार पर नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ प्रदर्शित की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी सभी सड़कों की सफाई के लिए पर्यवेक्षक और कर्मी की जिम्मेवारी निर्धारित करेंगे।

"नगर निगम के इस अभियान का उद्देश्य शहर की सभी सड़कों की उच्चकोटि की दैनिक सफाई को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक सड़क की सफाई के लिए जिम्मेवार निगम कर्मियों को चिह्नित करना व स्थानीय नागरिकों को उक्त सड़क की सफाई के लिए संबंधित कर्मी से परिचय कराना है।"

– **अनिमेष कुमार पराशर**, नगर आयुक्त, पटना

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.7.2023)

ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराने को कानून में होगा संशोधन

दो-तीन महीने में जमीन दस्तावेज और नक्शे की नकल मिलने लगेगी ऑनलाइन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सॉफ्टवेयर किया तैयार

24 से 48 घंटे में सीओ को करना होगा स्वीकृत, नहीं तो स्वयं ही स्वीकृत हो जाएगा

जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन किया जाएगा। राज्य में पहली बार जमीन का दस्वावेज, नक्शा, खतियान, रजिस्टर 1 या 2 की नकल ऑनलाइन निकालने की सुविधा बहाल होने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे संबंधित सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है, लेकिन जमीन से संबंधित किसी दस्तावेज का ऑनलाइन नकल देने का प्रावधान नहीं होने के कारण इसे लागू करने में देरी हो रही है। इसमें बदलाव के लिए विभाग ने बिहार राज्य राजस्व पर्षद को पत्र लिखा है। पर्षद के स्तर से संशोधन होने के बाद इस व्यवस्था को शुरू का दिया जाएगा। ऑनलाइन मिलने वाले किसी भूमि दस्तावेज या अभिलेख की डिजिटल कॉपी भी सभी सरकारी या कानूनी कार्यों में पूरी तरह से मान्य होगी। इस प्रणाली के शुरू होने से राज्य में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज से लेकर तमाम तरह की प्रक्रियाएँ ऑनलाइन हो जाएँगी। इस वेबसाइट पर जमीन से संबंधित नक्शा, खतियान समेत तमाम दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड किया गया है। इसका प्रिंट ऑउट आवेदक को मिलेगा।

"लोगों को ऑनलाइन नकल देने की सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी कर ली गई है। प्रावधान में बदलाव होते ही यह व्यवस्था बहाल हो जाएगी।" – **जय सिंह सचिव**, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 22.7.2023)

ट्रेन खुलने के दस मिनट तक पहुँचें, वरना बर्थ नहीं मिलेगी

अगर ट्रेन खुलने के दस मिनट में अपने बर्थ पर नहीं पहुँचते हैं तो बर्थ किसी अन्य यात्री को मिल सकती है। पूमरे के दानापुर डिवीजन में टीटीई को हैंडहेल्ड मशीनों में नॉट टर्नअप यात्रियों की सूचना अपडेट करनी है। इसके बाद उस खाली बर्थ की सूचना स्वत: उन यात्रियों तक पहुँच जाएगी, जिनकी टिकट आरएसी या वेटिंग में है। उन्हें यह बर्थ स्वत: अलॉट कर दी जाएगी। हालांकि ट्रेन में भीड़ की स्थिति में टीटीई को ऐसा करने से पहले थोड़ा इंतजार करने को भी कहा गया है। अब तक टीटीई अमूमन अगले स्टेशन तक यात्री के बर्थ पर आने का इंतजार करते थे पर हैंडहेल्ड मशीनों में सूचना अपडेट करने पर यह मैनुअल व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। दानापुर रेल मंडल के महत्वपूर्ण ट्रेनों में टीटीई को हैंडहेल्ड मशीनें उपलब्ध कराई दी गई हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 24.7.2023)**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296